न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

केशर देवी V/S सरकार मु० नं० 1/49/21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/22 - आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान-2022 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र थानागाजी पर पेश हुई। वकील वादीनी एवं पेशकार सक्षम शिविर स्थल पर उपस्थित। प्रकरण मे वकील वादीनी द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र मे अंकित आराजी वादीनी की कब्जे काश्त की खातेदारी की मालिकाने हक की आराजी है। हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी मे खातेदार काश्तकार वादीनी का नाम केसरी पुत्री धीसा जाति जाट नि० ग्राम बसई जोगियान दर्ज चला आता है। उक्त वर्णित आराजी से वादीनी के अलावा प्रतिवादीगण व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना-देना नहीं है। राजस्व कर्मचारीयों ने वादीनी की उक्तानुसार कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे वादीनी का नाम मय वल्दियत केसरी पत्नी भुलाराम जाति जाट की जगह केसरी पुत्री धीसा जाति जाट दर्ज कर दिया। जबकि वैधानिक रूप से वादीनी का नाम केसरी पुत्री धीसा जाति जाट के ~~[illegible]~~ बजाय वादीनी के-	

P.T.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थाना

उनवान .... मु० नं० ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पति भुलाराम का नाम दर्ज करना चाहिए था। वादीनी के अन्य समस्त रिकॉर्ड दस्तावेजात (आधारकार्ड, राशनकार्ड मतदाता सूची, पहचान-पत्र बैंक खाते) आदि मे वादीनी का नाम केसरी पत्नि भुलाराम ही दर्ज है, जो सही है।
	अन्तः मे राजस्व. रिकॉर्ड जमाबन्दी मे वादीनी के नाम के आगे पुत्री धीसा को कलमजन कर पत्नि भुलाराम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।
	प्रकरण मे सलग्न रिपोर्ट तहसीलदार, थानागाजी, भू. अ. नि. एवं पटवारी हल्का के अनुसार "केसरी पुत्री धीसा व केसरी पत्नि भुलाराम मुताबिक दस्तावेजात व जानकारी के आधार पर एक ही व्यक्ति के नाम है, होना अवगत कराया है।
	प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर [illegible] हेतु बयान लिये गये एवं परीक्षण सरकार द्वारा जिरह की गई।
	प्रकरण मे वकीलवादी एवं परीक्षण सरकार द्वारा दिनांक 24/5/22 को बहस सुनी गई।
	बहस मनन एवं प्रकरण मे सलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद बहस मनन एवं अवलोकन दस्तावेजात (आधार कार्ड, राशनकार्ड,
	P.T.O

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

मुकदमा केसरी बनाम सरकार पृ० सं०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मतदाता सूची, पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि ~~....~~ में वादीनी का नाम केसरी पत्नि भुलाराम दर्ज होना प्रमाणित है। तहसीलदार थानागाजी की समांकन रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्य सबूत व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।	
अतः आदेश है कि -	
दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड खाता सं. 69 ख.नं. 1210 रकबा 1.67 है० वाके ग्राम ~~....~~ सई जोगियान तह थानागाजी में दर्ज प्रविष्टि केसरी पुत्री धीसा के बजाय केसरी पत्नि भुलाराम की घोषणा की जाती है। तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि केसरी पुत्री धीसा के अंकन को दुरुस्त कर केसरी पत्नी भुलाराम दर्ज किया जावे। पृथक से पर्चा डिक्री जारी की जावे। पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। खर्चा अपना वहन करेंगे। तहरीर जारी है। यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मुहर युक्त जारी किया जाकर शिविर स्थल पर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली मिसल से दर्ज होकर बाद प्रोति दाखिल दफ्तर दाखिल हो।	

पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट ... 24/09/11/21 ...